दिनांक 26 जुलाई 2021 को सुबह 11 बजे सम्मेलन कक्ष, बराद सदन, शैक्षणिक खंड में आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 37वीं बैठक का कार्यवृत्त

दिनांक 26 जुलाई 2021 को सुबह 11 बजे सम्मेलन कक्ष , बराद सदन में कार्यकारिणी परिषद की 37वीं बैठक आयोजित की गयी। बैठक में निम्नलिखित सदस्य उपस्थित थे :

1. प्रो. अविनाश खरे कुलपति	-	अध्यक्ष
2. प्रो. एन. सत्यनारायण डीन, जीव विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
3. डॉ. मनेश चौबे डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
4. प्रो. संजय दाहाल डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ	-	सदस्य
5. डॉ. कबिता लामा डीन, भाषा एवं साहित्य विद्यापीठ	-	सदस्य
6. डॉ. लक्ष्मण शर्मा छात्र कल्याण डीन	-	सदस्य
7. प्रो. एस.एस.महापात्र प्रोफेसर, वाणिज्य विभाग	-	सदस्य
8. डॉ. सोहेल फिरदोस सह प्राध्यापक, भूगोल विभाग	-	सदस्य
9. प्रो. एन.के.पासवान वित्त अधिकारी (प्रभारी))	-	विशेष आमंत्रित
10. श्री के.वी.एस. कामेश्वर राव कुलसचिव	-	सचिव

निम्नलिखित सदस्य विडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में उपस्थित रहें :

11. प्रो. गुरमीत सिंह कुलपति पोण्डिचेरी विश्वविद्यालय	-	सदस्य
12. प्रो. रमेश कुमार यादव कुलपति बाबा मस्तनाथ विश्वविद्यालय	-	सदस्य

13. प्रो. बिद्युत चक्रबोर्ती - सदस्य
कुलपति
विश्व भारती, शांति निकेतन

14. श्री जी.पी. उपाध्याय - सदस्य
अतिरिक्त मुख्य सचिव
शिक्षा विभाग, सिक्किम सरकार

15. प्रो. इंदर मोहन कपाही - सदस्य
प्रोफेसर एवं सलाहकार
बुनियादी एवं अनुप्रयुक्त विज्ञान
महाराजा अग्रसेन विश्वविद्यालय

16. प्रो. कृष्ण कुमार - सदस्य
अध्यक्ष, भौतिकी विभाग
आईआईटी खरगपुर

17. प्रो. महेंद्र सिंह सेवेदा - सदस्य
प्रोफेसर एवं अध्यक्ष
अक्षय ऊर्जा अभियांत्रिकी विभाग
केंद्रीय कृषि विश्वविद्यालय, रानीपूल

18. श्री टाशी देन्सेपा - सदस्य
पूर्व निदेशक
नामग्याल तिब्बतीय संस्थान

19. प्रो. ज्योति प्रकाश तामांग - विशेष आमंत्रित
अध्यक्ष, सूक्ष्म जीव विज्ञान विभाग

श्रीमती ग्रेस डी. चैंकापा, उप कुलसचिव और श्री सत्यम राणा, सहायक परिषद की सहायता के लिए बैठक में उपस्थित थे। बैठक के दौरान तकनीकी सहयोग प्रदान करने के लिए श्री अनिल खाती वरिष्ठ तकनीकी सहायक उपस्थित थे।
प्रारंभ में कुलपति ने परिषद की 37वीं बैठक में सभी सदस्यों का स्वागत किया। उन्होंने श्री के.वी.एस कामेश्वर राव को विश्वविद्यालय के नए कुलसचिव के रूप में सभी सदस्यों से मिलवाया, जिन्होंने 19.07.2021 को कार्यग्रहण किया और बैठक में श्री राव का स्वागत किया। बैठक में कुलपति ने विशेष रूप से प्रोफेसर मनेश चौबे, डीन, सामाजिक विज्ञान विद्यापीठ और प्रोफेसर संजय दाहाल, डीन, भौतिक विज्ञान विद्यापीठ स्कूल का भी विशेष रूप से स्वागत किया, जो पहली बार बैठक में भाग ले रहे थे। कुलपति ने परिषद की बैठकों में प्रो. ए.पी. पांडे, पूर्व कुलपति, मणिपुर विश्वविद्यालय, प्रो. अभिजीत दत्ता, पूर्व डीन, व्यावसायिक अध्ययन विद्यापीठ और डॉ. के.आर. राम मोहन, डीन, मानव विज्ञान विद्यापीठ के योगदानों को अभिलेखित किया । इन सभी ने कार्यकारिणी परिषद में अपना-अपना कार्यकाल पूरा किया।

इसके बाद एजेंडा में उल्लेखित के अनुसार निम्नलिखित विषयों पर चर्चा हुई।

खंड -1

कार्यवृत्त की पुष्टि एवं

ली गई कार्रवाई की रिपोर्ट

ईसी 37.1.1: दिनांक 28 जनवरी 2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 36 वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि

दिनांक 28 जनवरी 2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 36वीं बैठक के कार्यवृत्त दिनांक 28 जनवरी 2021 को सभी सदस्यों को परिचालित किए गए। परिषद के किसी भी सदस्य से कोई टिप्पणी प्राप्त नहीं हुई।

दिनांक 28 जनवरी 2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 36वीं बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि 28 जनवरी 2021 को सभी सदस्यों को परिचालित किए जाने के अनुसार पुष्टि की गई।

ईसी 37.1.2: दिनांक 28 जनवरी 2021 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 36 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर ली गयी कार्रवाई

सचिव ने परिषद की 36 वीं बैठक के कार्यवृत्त पर की गई कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की। परिषद ने विश्वविद्यालय द्वारा की गई कार्रवाई रिपोर्ट को नोट किया।

खंड -2

सूचनात्मक विषय

ईसी 37.2.1: यांगयांग, दक्षिण सिक्किम में चल रहे परिसर निर्माण कार्य (चरण-I, पैकेज-I) पर संक्षिप्त विवरण

विश्वविद्यालय के कार्यकरी अभियंता ने पावर प्वाइंट प्रेजेंटेशन के माध्यम से चल रहे परिसर निर्माण कार्य की अद्यतन जानकारी विस्तार से प्रस्तुत की और परिसर निर्माण के संबंध में आगामी योजना के बारे में बताया।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में चरण-I का पैकेज-I चल रहा है जिसमें केवल बुनियादी भवन संरचनाएं (कंकाल) शामिल हैं और पैकेज में अंतिम रूप देने से संबन्धित कोई कार्य शामिल नहीं किया गया है। काम अब पूरा हो गया है और मैसर्स एनसीसी लिमिटेड द्वारा विश्वविद्यालय को सौंपने के लिए तैयार है। अंतिम बिलिंग कार्य और अन्य अंतिम वित्तीय निपटान कार्य प्रगति पर हैं।

उन्होंने आगे बताया कि परिसर निर्माण परियोजना के चरण-I पैकेज-II के लिए इंजीनियरिंग क्रय अनुबंध (ईपीसी) निविदा दस्तावेज तैयार करने का कार्य प्रगति पर है। चरण- I पैकेज- II में पैकेज-I के दौरान निर्मित तीन संरचना के अंतिम रूप देने , छात्रावास ब्लॉक, आवासीय ब्लॉक और कक्षा ब्लॉक के साथ-साथ अन्य परिधीय निर्माण कार्य शामिल होंगे।

परिषद ने परिसर विकास की उक्त प्रगति को नोट किया ।

खंड -3

अनुसमर्थित विषय

ईसी 37.3.1: कार्यकारिणी परिषद द्वारा नामित चयन समिति के सदस्य

यह सूचित किया गया कि विश्वविद्यालय ने विभिन्न सांविधिक और संकाय पदों के लिए साक्षात्कार आयोजित किए। कुलपति ने निम्नलिखित विशेषज्ञों को चयन समिति में मनोनीत किया।

सांविधिक पद				
क्र.सं.	**पद**	**सदस्य**		**साक्षात्कार की तिथि**
1	कुलसचिव	1. श्री जी.पी. उपाध्याय, अतिरिक्त मुख्य सचिव (शिक्षा), एचआरडीडी, सिक्किम सरकार, गंगटोक	कार्यकारिणी परिषद के दो सदस्य, जिन्हें परिषद द्वारा नामित है	25.03.2021 और 26.03.2021
		2. श्री टाशी देन्सेपा, राष्ट्रीय तिब्बतीय संस्थान, गंगटोक		
		1. प्रो. एस.एस.हासान कुलपति, सिक्किम व्यावसायिक विश्वविद्यालय, तादोंग, गंगटोक	कार्यकारी परिषद द्वारा एक व्यक्ति को नामित, जो सेवारत नहीं है	
2.	वित्त अधिकारी	1. प्रो. अभिजीत दत्ता	कार्यकारिणी परिषद के दो सदस्य, जिन्हें परिषद द्वारा नामित है	21.06.2021
		2. प्रो. एस.एस.महापात्र		

		प्रो. एस.एस.हासान कुलपति, सिक्किम व्यावसायिक विश्वविद्यालय, तादोंग, गंगटोक	कार्यकारी परिषद द्वारा एक व्यक्ति को नामित, जो सेवारत नहीं है	
संकाय पद				
1.	एसोसिएट प्रोफेसर	1. प्रो. राजीव गुप्ता, दिल्ली विश्वविद्यालय	विषय विशेषज्ञ	22.06.2021 और 23.06.2021
		2. प्रो. एम. नाथ, दिल्ली विश्वविद्यालय	विषय विशेषज्ञ	
2.	भौतिकी विभाग में प्रोफेसर	1. प्रो. आर. गणेश, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर, गुजरात	विषय विशेषज्ञ	24.06.2021 और 25.06.2021
		2. प्रो. देबज्योति चौधुरी, दिल्ली विश्वविद्यालय	विषय विशेषज्ञ	
3.	भौतिकी विभाग में एसोसिएट प्रोफेसर	1. प्रो. आर. गणेश, प्लाज्मा अनुसंधान संस्थान, गांधीनगर, गुजरात	विषय विशेषज्ञ	
		2. प्रो. देबज्योति चौधुरी, दिल्ली विश्वविद्यालय	विषय विशेषज्ञ	

कार्यकारिणी परिषद ने विभिन्न चयन समितियों के लिए ऊपर दिए गए विवरण के अनुसार विशेषज्ञों को नामित करने के लिए कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 37.3.2: शिक्षण कर्मचारियों के अनुबंधों का विस्तार

परिषद ने नोट किया कि निम्नलिखित संकाय सदस्यों के अनुबंध नीचे प्रत्येक के सामने उल्लेखित तिथि को समाप्त हो गया है :

क्र. सं.	नाम	पदनाम	विभाग	अनुबंध समाप्ति की तिथि
1.	प्रो. इम्तियाज़ गुलाम अहमद	प्रोफेसर	विधि	30.06.2021
2.	प्रो. विनोद चंद्र तिवारी	प्रोफेसर	भूविज्ञान	30.06.2021

1.	श्री बाईचुंग छिरिंग भूटिया	एसोसिएट प्रोफेसर	भूटिया	30.06.2021
2.	डॉ. हीसे वांगचुक भूटिया	एसोसिएट प्रोफेसर		30.06.2021
3.	श्री बल बहादुर सुब्बा	एसोसिएट प्रोफेसर	लिम्बू	30.06.2021
4.	श्री नोरबू छिरिंग लेप्चा	एसोसिएट प्रोफेसर	लेप्चा	30.06.2021
5.	सुश्री दुकमित लेप्चा	एसोसिएट प्रोफेसर		30.06.2021
6.	डॉ. आर.एस.एस. नेहरू	एसोसिएट प्रोफेसर	शिक्षा	30.06.2021

कोविड-19 महामारी के कारण देश भर में हुई स्थिति को ध्यान में रखते हुए भर्ती प्रक्रिया में कुछ और समय लगेगा। अतः कुलपति ने उनकी अनुबंध आधारित नियुक्ति को आगे 31.12.2021 तक बढ़ा दिया।

कार्यकारिणी परिषद ने उपरोक्त संकाय सदस्यों की अनुबंध आधारित नियुक्ति को 31.12.2021 तक बढ़ाते हुए कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 37.3.3: डॉ. करिश्मा कर्थक लेप्चा का अध्ययन अवकाश

डॉ. करिश्मा के. लेप्चा, सहायक प्राध्यापक, नृविज्ञान विभाग को शैक्षणिक वर्ष 2021-2022 के लिए भाषाई और लाक्षणिक नृविज्ञान प्रशिक्षण कार्यक्रम में हार्डवर्ड-येन्चिंग विजिटिंग स्कॉलर के रूप में कार्य करने हेतु कुलपति द्वारा दिनांक 01.09.2021 से 30.06.2022 तक 10 महीने का अध्ययन अवकाश दिया गया था।

परिषद ने डॉ. करिश्मा के. लेप्चा को अध्ययन अवकाश प्रदान करने के लिए कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

ईसी 37.3.4: श्री विवेक तामांग के अध्ययन अवकाश का विस्तार

परिषद ने 8 फरवरी 2019 को आयोजित कार्यकारिणी परिषद की 32 वीं बैठक में श्री विवेक तामांग, सहायक प्राध्यापक, वाणिज्य विभाग को 2 फरवरी 2019 से 1 (एक) वर्ष 10 (दस) महीने की अवधि के लिए सिक्किम विश्वविद्यालय में पीएचडी से संबन्धित कार्य करने के लिए अध्ययन अवकाश प्रदान किया गया था । उन्होंने अब 2 दिसंबर 2020 से 1 जून 2021 तक अपने अध्ययन अवकाश को 6 (छह) महीने की अवधि के लिए बढ़ाने का अनुरोध किया है। कुलपति ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया और उन्हें 1 जून 2021 तक की अवधि के लिए अध्ययन अवकाश को बढ़ा दिया।

परिषद ने श्री बिवेक तामांग के अध्ययन अवकाश को बढ़ाने के लिए कुलपति की कार्रवाई की पुष्टि की।

खंड – 4

विचारार्थ एवं अनुमोदन हेतु विषय

ईसी37.4.1: सीएएस के तहत अगले चरण में नियुक्ति के लिए चयन समिति की कार्यवाही

(i) परिषद ने नीचे दिए गए विवरण के अनुसार निम्नलिखित संकाय सदस्यों को एक चरण से दूसरे चरण में नियुक्त करने के लिए चयन समिति और स्क्रीनिंग मूल्यांकन समिति की सिफारिश को मंजूरी दी:

क्र.सं.	नाम	विभाग	नियुक्ति का चरण	नियुक्ति की तिथि
1.	डॉ. सोहेल फिरदोस	भूगोल	IV से V	26.02.2019
2.	डॉ. कबिता लामा	नेपाली	IV से V	13.09.2018
3.	डॉ. पुष्पा शर्मा		IV से V	05.12.2018
4.	डॉ. लक्ष्मण शर्मा	उद्यानिकी	IV सेV	12.12.2018
5.	डॉ. धनी राज छेत्री	वनस्पति विज्ञान	IV से V	06.02.2019
6.	डॉ. कोमल सिंघा	अर्थशास्त्र	IV से V	13.05.2019
7.	डॉ. सुबीर मुखोपाध्याय	भौतिकी	IV से V	27.11.2019
8.	डॉ. संध्या थापा	समाजशास्त्र	IV से V	25.08.2020
9.	डॉ. अनिरा फिपोन लेप्चा	इतिहास	II से III	03.06.2020
10.	डॉ. अमित कुमार सिंह	पर्यटन	II से III	13.05.2018
11.	डॉ. अचंता रवि प्रकाश	प्रबंधन	I से II	01.05.2018
12.	डॉ. बी. मुथु पंडियन	वाणिज्य	I से II	29.03.2019
13.	डॉ. रवि शेखर विशाल		I से II	01.06.2020
14.	डॉ. दिनेश साहू	हिंदी	I से II	25.02.2019
15.	डॉ. हेमाम दिनेश सिंह	भौतिकी	I से II	01.07.2019
16.	डॉ. जैस्मिन यिमचुंगर	जनसंचार	I से II	01.06.2020

(ii) हालांकि, चयन समिति ने डॉ स्वाति ए. सचदेवा की कार्यवाही में निम्नलिखित बातों को नोट किया:

प्रार्थी सीएएस के तहत शैक्षणिक स्तर 13ए (एसोसिएट प्रोफेसर) से शैक्षणिक स्तर 14 (प्रोफेसर) में पदोन्नति के लिए अस्वीकृति की तारीख से ठीक एक वर्ष यानी 24.03.2021 से आवेदन कर सकता है।

परिषद ने इस संबंध में चयन समिति की सिफारिश को स्वीकार कर लिया।

ईसी 37.4.2: संकाय पदों में नियुक्ति

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय ने रसायन विज्ञान और भौतिकी विभाग के लिए संकाय पदों के लिए ऑनलाइन साक्षात्कार आयोजित किए थे।

परिषद ने विभाग में चयन के संबंध में प्रत्येक के सामने उल्लेखित पद के लिए दी गई चयन समिति की सिफारिशों को मंजूरी दी:

विभाग	**साक्षात्कार की तिथि**	**पद**	**पदों की संख्या/ वर्ग**	**नाम**
रासायनिकी	22.06.2021 और 23.06.2021	एसोसिएट प्रोफेसर	1 (यूआर)	डॉ. अखिलेश कुमार गुप्ता **चयनित** डॉ. शुभांकर चटर्जी, *प्रतीक्षा सूची*
भौतिकी	24.06.2021	प्रोफेसर	1(यूआर)	कोई उपयुक्त नहीं मिला
	25.06.2021	एसोसिएट प्रोफेसर	1(यूआर)	डॉ. अजय त्रिपाठी **चयनित**

ईसी 37.4.3: वित्त अधिकारी की नियुक्ति

परिषद ने नोट किया कि विश्वविद्यालय ने दिनांक 12.04.2021 को नियुक्ति सूचना संख्या एसयू/आरईजी/स्था./एफ-2/09/2018/खंड II/41 के माध्यम से वित्त अधिकारी के पद का विज्ञापन प्रकाशित किया था। ऑनलाइन साक्षात्कार 21.06.2021 को आयोजित किया गया था।

कार्यकारिणी परिषद ने चयन समिति की सिफारिश को निम्नानुसार अनुमोदित किया:

वित्त अधिकारी	श्री प्रताप केशरी दाश	**चयनित**
	श्री कोचरी जॉन जोशेप	*प्रतीक्षा सूची 1*
	श्री हिमांशु शेखर राऊत	*प्रतीक्षा सूची 2*

ईसी 37.4.4: ब्लैक कैट डिवीजन, गंगटोक, पूर्वी सिक्किम के साथ समझौता ज्ञापन

परिषद को सूचित किया गया था कि भारतीय सेना का एक डिवीजन, 17माउंटेन डिवीजन, जिसे आमतौर पर "ब्लैक कैट डिवीजन" के रूप में जाना जाता है, जिसका पता गंगटोक, पूर्वी सिक्किम है, ने सिक्किम विश्वविद्यालय से संपर्क किया है कि सिक्किम विश्वविद्यालय द्वारा पूर्वी कमान में तैनात उनके नामित अधिकारियों को "पूर्वी कमान तिब्बती संवर्ग" शीर्षक एक पाठ्यक्रम संचालित

करने के लिए निर्देशात्मक मार्गदर्शन प्रदान किया जाएँ। उन्होंने निम्नलिखित मुख्य विशेषताओं और उद्देश्यों के साथ एक समझौता ज्ञापन का प्रस्ताव किया है:

- "पूर्वी कमान तिब्बती संवर्ग" में शामिल किए जाने वाले विषय तिब्बत में राजनीतिक और न्यायिक व्यवस्था हैं।
- संवर्ग के लिए कक्षाएं सिक्किम विश्वविद्यालय के संकाय सदस्यों द्वारा संचालित की जाएंगी।
- परीक्षा और कक्षाएं गंगटोक सैन्य स्टेशन के मानव संसाधन विकास केंद्र में आयोजित की जाएंगी।
- वार्षिक पाठ्यक्रम में तीन अलग-अलग श्रेणियां शामिल होंगी जिसमें दो सप्ताह की अवधि के लिए एक परीक्षण संवर्ग, तीन सप्ताह की अवधि के लिए चार लंबे संवर्ग और दस दिनों की अवधि के लिए दो लघु संवर्ग शामिल होंगे।
- समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर करने की तारीख से एक वर्ष की अवधि के लिए वैध होगा और फिर पारस्परिक रूप से सहमत नियमों और शर्तों पर अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है।

परिषद ने सिक्किम विश्वविद्यालय और ब्लैक कैट डिवीजन के बीच समझौता ज्ञापन को मंजूरी दी।

ईसी 37.4.5: कार्यकारी अभियंता के पद हेतु भर्ती एवं प्रोन्नति नियमों में

परिषद को सूचित किया गया कि वर्तमान भर्ती एवं पदोन्नति नियम (गैर-शिक्षण कर्मचारी) 2019 के अनुसार सीधी भर्ती और पदोन्नति दोनों के लिए कार्यकारी अभियंता के पद के लिए आवश्यक निर्धारित योग्यताओं में से एक सहायक अभियंता के रूप में आठ वर्ष है। हालांकि, 14 अगस्त 2015 को जारी निर्धारित यूजीसी दिशानिर्देशों में ₹4,600 (सहायक अभियंता) के ग्रेड वेतन से ₹6,600 (कार्यकारी अभियंता) (6वें सीपीसी के अनुसार) के ग्रेड वेतन में पदोन्नति के लिए 7 वर्ष की अर्हक सेवा प्रदान की है।

यूजीसी द्वारा सुझाए गए अनुभव की निर्धारित अवधि को ध्यान में रखते हुए कार्यकारिणी परिषद ने सीधी भर्ती और पदोन्नति के लिए कार्यकारी अभियंता के पद के लिए आवश्यक योग्यता को आठ वर्ष से सात वर्ष तक संशोधित करने को मंजूरी दी।

सूचीबद्ध विषय

ईसी37.4.6: डॉ. राम भवन यादव, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग के खिलाफ दर्ज शिकायत पर की गई जांच पर आईसीसी की रिपोर्ट

परिषद को सूचित किया गया कि अंग्रेजी विभाग के एक पीएचडी स्कॉलर ने अपने पर्यवेक्षक डॉ राम भवन यादव, सहायक प्राध्यापक, अंग्रेजी विभाग के खिलाफ 4 फरवरी 2021 को शिकायत दर्ज की थी। शिकायत उनके पर्यवेक्षक द्वारा शारीरिक, वित्तीय और भावनात्मक शोषण की थी। शिकायत 5 फरवरी 2021 को पीठासीन अधिकारी, आईसीसी को भेजी गई थी। शिकायत के आधार पर आंतरिक शिकायत समिति (आईसीसी) द्वारा जांच शुरू की गई थी।

डॉ. संध्या थापा, पीठासीन अधिकारी, आईसीसी को इस विषय को परिषद में प्रस्तुत करने के लिए आमंत्रित किया गया था। उन्होने परिषद को सूचित किया कि आईसीसी ने कई बैठकें/कार्यवाहियां आयोजित कीं जिसमें शिकायतकर्ता, आरोपी और मामले से जुड़े विभिन्न गवाहों की व्यक्तिगत सुनवाई की गई, जिसमें विभाग के संकाय सदस्यों भी शामिल थे।

आईसीसी ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.पी. सुब्बा से कानूनी सलाह और मार्गदर्शन भी प्राप्त किया और 21 जून 2021 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की। जांच रिपोर्ट की प्रति परिषद के अवलोकन हेतु परिषद के समक्ष रखी गई थी।

परिषद द्वारा यह देखा गया कि आईसीसी ने जांच के बाद और रिकॉर्ड पर सामग्री पर विचार करने के बाद पाया कि शिकायत कार्यस्थल पर महिलाओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध और निवारण) अधिनियम, 2013 के दायरे में नहीं आती है। हालांकि, माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के बिभा पांडे बनाम पंजाब नेशनल बैंक और अन्य डब्ल्यूपी (सी) 3249/2017 और सीएम एपीपीएल 14126/2017 मामले में लिए गए निर्णय के संदर्भ में यह कहा गया है :

"नैतिक पुलिसिंग आईसीसी का काम नहीं है और वयस्कों के बीच किसी भी सहमति से संबंध प्रबंधन या आईसीसी के विचारणीय नहीं होगा, जब तक कि उक्त संबंध संस्थान के कामकाज और अनुशासन को प्रभावित नहीं करता हो और यह नियमों के विपरीत नहीं हो और न ही उक्त कर्मचारियों के लिए निर्धारित बाध्यकारी आचार संहिता के विपरीत हो"।

ऊपर उल्लिखित उक्त निर्णय के अनुसार आईसीसी ने महसूस किया कि जैसा कि यह स्पष्ट रूप से उल्लेख करता है कि अगर संबंध संगठन के कामकाज और अनुशासन को प्रभावित करता है और उक्त कर्मचारियों पर निर्धारित बाध्यकारी आचार संहिता के विपरीत है, तभी यह प्रबंधन और आईसीसी के लिए चिंता का विषय होगा। इसलिए, आईसीसी ने डॉ. राम भवन यादव को सीसीएस (आचरण) नियम 1964 के प्रावधानों का उल्लंघन करने का दोषी पाया कि उन्होंने इस विश्वविद्यालय के एक कर्मचारी के रूप में शिकायतकर्ता के साथ संबंध स्थापित करके घोर नैतिक कदाचार किया, जो एक शिक्षण संस्थान में नहीं होना चाहिए था। डॉ. राम भवन यादव से एक शिक्षक होने के नाते ईमानदारी, उच्च नैतिक मानकों और ईमानदारी को बनाए रखने और एक सरकारी कर्मचारी होने के नाते हर समय कुछ भी अशोभनीय नहीं करने की अपेक्षा की जाती है। शिक्षक-छात्र संबंध को शैक्षणिक संस्थानों में सम्मान के संबंध के रूप में माना जाता है और छात्र उच्च शिक्षा संस्थानों में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्राप्त करने और अपने करियर का निर्माण करने की उच्च उम्मीद के साथ प्रवेश करते हैं।

आईसीसी के विचारों के आधार पर डॉ. राम भवन यादव को सीसीएस (आचरण) नियम 1964 के तहत कदाचार का दोषी पाया गया और न कि यौन उत्पीड़न का, अत: कार्यकारिणी परिषद ने नियम

11 (iv) के तहत एक मामूली जुर्माना लगाने की सिफारिश की, अर्थात संचयी प्रभाव के बिना तीन साल के लिए वेतन वृद्धि। इसे तीन साल की अवधि के अंत में बहाल किया जाना है।

इसके अतिरिक्त, परिषद ने विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित दंड लगाने का भी निर्णय लिया:

i) उन्हें तीन वर्ष के लिए विश्वविद्‌यालय में किसी भी प्रशासनिक पद धारण करने या किसी समिति के अध्यक्ष/सदस्य बनने से रोकना।
ii) उन्हें अपने पर्यवेक्षण में अपने वर्तमान विद्‌वानों सहित किसी भी एमफिल/पीएचडी की 3 साल के लिए पर्यवेक्षण करने से रोकना।

खंड – 5
प्राधिकारणों/समितियों का कार्यवृत्त

ईसी 37.5.1: वित्त समिति की 27वें और 28वीं बैठक के कार्यवृत्त

दिनांक 9 फरवरी 2021 को परिचालन के माध्यम से आयोजित वित्त समिति की 27वीं बैठक और 17 मई 2021 को ऑनलाइन माध्यम से आयोजित वित्त समिति की 28वीं बैठक का कार्यवृत्त कार्यकारिणी परिषद के समक्ष रखा गया।

परिषद ने सिफारिशों को नोट किया और उसे मंजूरी दी।

खंड – 6
अध्यक्ष की ओर से विषय

शून्य

अध्यक्ष के धन्यवाद ज्ञापन के साथ बैठक समाप्त हुई।

हस्ता/-	**हस्ता/-**
(के.वी.एस.कामेश्वर राव)	**(प्रो. अविनाश खरे)**
कुलसचिव एवं सचिव	**कुलपति एवं अध्यक्ष**
कार्यकारिणी परिषद	**कार्यकारिणी परिषद**